



dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in

टैली, फ़ैक्स नं०-01360-275078

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन नं० 18008909715

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 4584 / 12-1 दिनांक, चकराता 05 जून 2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
चकराता।

विषय :- टी0एस0पी0 के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी को घोषणा सं०-90/2019 के अन्तर्गत जनपद- देहरादून के विकासखण्ड व विधानसभा क्षेत्र चकराता के तहसील त्यूनी में डागूठा से मुण्डाली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-102/15 सी 04 दिनांक 25.04.2024 एवं पत्रांक-270/15सी0 4 दिनांक 27.05.2024

महोदय,

उक्त सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयक मोटर मार्ग निर्माण हेतु पुनः विचार किये जाने हेतु इस कार्यालय में अनुरोध किया गया है, तत्कम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या-पी0ओ0/130 दिनांक-01.11.2022 से उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। समिति की स्थलीय सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो पायेगा।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग चकराता